

वशिष : नोटा (NOTA)

संदर्भ

चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राज्यसभा और वधान परषिद चुनावों के मतपत्रों से 'उपर्युक्त में से कोई भी नहीं' (none of the above -NOTA) विकल्प को वापस ले लिया है। सर्वोच्च अदालत ने राज्यसभा और वधान परषिद (MLC) के चुनावों में बैलेट पेपर पर 'उपरोक्त में से कोई नहीं' यानी नोटा का विकल्प प्रकाशित नहीं करने के आदेश जारी किये हैं। हालाँकि लोकसभा और राज्य वधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों में नोटा एक विकल्प के रूप में जारी रहेगा। इस फैसले के बाद नोटा पर बहस एक बार फिर तेज़ हो गई है। नोटा से पहले भी वोट नहीं देने का अधिकार था भारत की चुनाव आचार संहिता, 1961 के नयिम 49 (ओ) के तहत यह काफी समय से अस्तित्व में था इसके तहत कोई भी मतदाता आधिकारिक तौर पर मत नहीं देने का निर्णय ले सकता था।

पृष्ठभूमि

- “जनता द्वारा, जनता के लिये, जनता का शासन ही लोकतंत्र है” अब्राहम लकिन की यह प्रसिद्ध उक्ति लोकतंत्र की सबसे सरल और प्रचलित परिभाषा मानी जाती है। गौरतलब है कि लोकतंत्र की इस व्यवस्था में मालिकाना हक तो जनता का ही है लेकिन जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसे लेकर असंतोष ज़ाहिर किया जाता रहा है।
- लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों में यदि जनता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है और फिर भी वह यह समझकर मतदान करती है कि दो बुरे उम्मीदवारों में से जो कम बुरा है उसके पक्ष में मतदान किया जाए तो नश्चिती ही यह लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत नहीं है।
- क्या हमारी व्यवस्था ऐसा उम्मीदवार नहीं दे सकती जो जनता के हित और कल्याण के लिये प्रतिबद्ध हो, मान लिया जाए कि किन्हीं परिस्थितियों में कोई भी सुयोग्य उम्मीदवार नज़र नहीं आता तो जनता क्या करे? इस सवाल को लेकर बहुत लंबे समय तक बहस चलती रही है।
- अंततः नोटा (none of the above-NOTA) के रूप में इसका समाधान प्रस्तुत किया गया।

क्या है नोटा?

भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिये गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ, वदिति हो कि पीपुल्स यूनिन फॉर सविलि लबिर्टीज़ बनाम भारत सरकार मामले में शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिये नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वाँ देश बन गया। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा (NONE OF THE ABOVE-NOTA) के लिये गुलाबी बटन होता है। यदि पार्टियाँ गलत उम्मीदवार देती हैं तो नोटा का बटन दबाकर पार्टियों के प्रति जनता अपना वरीध दर्ज करा सकती है।

टीम दृष्टि इनपुट

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तथा चुनाव आयोग के ताज़ा निर्देश

- राज्यसभा तथा वधान परषिद के चुनावों में अब नोटा का विकल्प नहीं होगा केंद्रीय चुनाव आयोग ने इससे जुड़े निर्देश राज्य चुनाव आयोगों को दे दिये हैं।
- गौरतलब है कि 21 अगस्त, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जस्टिस ए.एम. खानवलिकर तथा जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटा डीफेक्शन (defection) को बढ़ावा देगा और इससे भ्रष्टाचार के लिये दरवाज़े खुलेंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिये कोर्ट ने कहा कि यह विकल्प अप्रत्यक्ष चुनाव जहाँ औसत प्रतिनिधित्व की बात होती है, वहाँ लागू नहीं होगा इसके साथ ही, राज्यसभा चुनावों में नोटा लागू करने से एकमत के औसत मूल्यांकन की धारणा नष्ट होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटा पहली नज़र में लुभावना लग सकता है लेकिन गंभीर जाँच करने पर यह आधारहीन दखिता है क्योंकि इससे ऐसे चुनाव में मतदाता की भूमिका को नज़रंदाज़ कर दिया है इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि नोटा के प्रयोग से अप्रत्यक्ष चुनावों में समाहित चुनाव नष्पिकषता ख़त्म होती है वह भी तब जबकि मतदाता के मत का

मूल्य हो और वह मूल्य हस्तांतरणीय (transferable) हो ऐसे में नोटा एक बाधा है।

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्यसभा चुनाव पहले से ही उलझन भरे हैं ऐसे में चुनाव आयोग के लिये यह चुनाव और जटिल न बने, इसके लिये कानून किसी भी वधायक को नोटा के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता लेकिन इस अधिसूचना के ज़रिये चुनाव आयोग वधायक को वोट न डालने का अधिकार दे रहा है, जबकि यह उसका संवैधानिक दायित्व है।
- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस पर संदेह है कि नोटा के ज़रिये किसी वधायक को उम्मीदवार को वोट डालने से रोका जा सकता है।
- वहीं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि बैलेट बॉक्स में मतपत्र डालने से पहले कोई वधायक उसे क्यों दिखाए।

नोटा के वकिलप की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती

- गुजरात के शैलेश मनुभाई परमार पछिले राज्यसभा चुनाव में गुजरात विधानसभा में कॉंग्रेस के मुख्य सचेतक थे। परमार ने मतपत्रों में नोटा के वकिलप की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी थी।
- इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी परमार की याचिका का समर्थन किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि नोटा का इस्तेमाल राज्यसभा चुनाव के दौरान नहीं किया जाना चाहिये।
- सरकार का कहना था कि नोटा का इस्तेमाल वहीं होगा जहाँ प्रतिनिधि जनता के ज़रिये सीधे चुने जाते हैं लेकिन राज्यसभा में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि राज्यसभा के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुने जाते।
- इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर कहा था कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होगा और यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही चुनावों पर लागू होता है।
- चुनाव आयोग ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो यह अदालत के आदेश की अवहेलना और अवमानना का मामला बन जाता।
- याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की अधिसूचना पर सवाल उठाया और कहा कि नोटा चुनाव में सीधे मतदाताओं के इस्तेमाल के लिये बनाया गया है।
- नोटा की शुरुआत इसलिये की गई थी कि प्रत्यक्ष चुनावों में कोई व्यक्ति वोट के तौर पर इस वकिलप का इस्तेमाल कर सके।

सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती आदेश

- दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में नोटा के वकिलप को अनिवार्य करने का आदेश दिया था और इसके बाद जनवरी 2014 में नोटा का प्रावधान रखने संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा था कि जिस तरह हर मतदाता को मत डालने का अधिकार है उसी तरह उसे किसी को भी वोट न देने का अधिकार है।
- कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश सभी चुनावों को लेकर है यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के चुनावों पर लागू होगा।
- अभी तक चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक, अगर कोई वोट या वधायक राज्यसभा चुनावों में पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर किसी उम्मीदवार को वोट देता है या नोटा का इस्तेमाल करता है तो उसे विधानसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। वह वधायक रहेगा और उसका वोट भी वैध माना जाएगा लेकिन अनुशासन तोड़ने के लिये पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जिसमें पार्टी से निकाला जाना भी शामिल है।

भारत में नोटा का सफर

भारत ने नोटा की दुनिया में 2013 में कदम रखा शुरुआत में राजनीतिक दलों ने इसका काफी विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह बात साफ हो गई कि भिनपसंद उम्मीदवार की गैरमौजूदगी में आम लोगों के पास अपनी राय जाहिर करने का अधिकार भी उनका चुनावी अधिकार होना चाहिये।

- 27 सितंबर, 2013 को सुप्रीम कोर्ट की भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस पी. सदाशिवम की अगुवाई वाली बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि लोकतंत्र दरअसल, चुनाव का ही नाम है इसलिये मतदाताओं को नकारात्मक मतदान का भी पूरा अधिकार है और उन्हें यह अधिकार मिला चाहिये नकारात्मक मतदान की यही अवधारणा नोटा यानी नन ऑफ द अबब की है।
- नोटा यानी मतदाताओं को मिला वह अधिकार है जिसके ज़रिये वे बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन में दर्ज तमाम नामों को खारज कर अपना सुस्पष्ट कर सकते हैं।
- इसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव में खड़े तमाम उम्मीदवारों में से अगर मतदाता किसी को भी पसंद नहीं करता है तो वह नोटा का बटन दबाकर या नोटा के आगे ठप्पा लगाकर अपनी पसंद जाहिर कर सकता है।
- दरअसल, भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत 2009 में तब हुई जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नोटा का वकिलप उपलब्ध कराने से जुड़ी अपनी मंशा जाहिर की।
- बाद में नागरिक अधिकार संगठन पीपुल्स यूनिन फॉर सविलि लबिर्टी ने भी नोटा के समर्थन में जनहति याचिका दायर की।
- इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए 2013 में कोर्ट ने मतदाताओं को नोटा का वकिलप देने का निर्णय किया था।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में ईवीएम में 'इनमें से कोई नहीं' यानी नोटा का वकिलप उपलब्ध कराने के निर्देश दिये इस तरह भारत नोटा का वकिलप उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौदहवाँ देश बन गया।
- हालाँकि चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटा के वोट गिने तो जाएंगे पर इसे रद्द मतों की श्रेणी में रखा जाएगा यानी इससे चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- नोटा को 2013 में पहली बार उस समय हुए पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनाया गया छत्तीसगढ़, मजिोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार लोगों को यह वकिलप दिया गया कि वे चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को खारज कर सकें।
- इन सभी राज्यों में 1.85 प्रतिशत वोट नोटा पाए गए हालाँकि 2014 में हुए 8 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में नोटा घटकर 0.95 प्रतिशत रह गया।

- हालाँकि 2015 में दलित और बहिर में हुए चुनावों में यह फरि बढ़कर 2.02 प्रतिशत हो गया।
- नोटा की शुरुआत से पहले कई राजनीतिक दलों ने इसका यह कहकर वरिध कथि था कि इसके आने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी लेकिन कोर्ट ने इसे लोकतंत्र के लयि ज़रूरी बताकर इसे लागू करने का नरिदेश दयि।
- नोटा के आने के बाद इसे लेकर राजनीतिक दलों में कई बार चति और मनन की स्थिति भी दखि मसलन 2013 से फरवरी 2017 के बीच हुए मतदान में कुल सीटों में से 261 वधिनसभा और 24 लोकसभा सीटों पर नोटा वोट वजिय मारजनि से ज़यादा थे।
- यही नहीं 2017 में हुए गुजरात वधिनसभा चुनावों में भी कुल 21 सीटों पर सबसे ज़यादा वोट पाने वाले पहले दो प्रत्याशयिों के बीच का अंतर नोटा वोटों से कम था यही वज़ह है कि राजनीतिक दलों में नोटा वोटों को लेकर अब संजीदगी और गंभीरता ज़यादा दखिती है।

नोटा के वपिकष में तरक

अप्रत्यक्ष चुनावों में नोटा की अनविरयता ख़तम करने के बाद नोटा की प्रासंगकिता के पक्ष और वपिकष में कई सवाल-जवाब सामने आते रहे हैं।

- वर्ष 2013 के ऐतहासकि फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को अपने नरिवाचन कषेत्र में खड़े कसिी प्रत्याशी को वोट नहीं देने का अधिकार दयि।
- इसके बाद ही ईवीएम में नोटा बटन का वकिलप दयि जाने लगा लेकिन इसे लेकर अलग-अलग तबकों में वचिर-वमिरश भी शुरू हो गया।
- दरअसल, जो लोग नोटा के मौजूदा स्वरूप से असंतुषट हैं उनका तरक यह है कि इससे मतदाता को चुनाव में खड़े प्रत्याशयिों को ख़ारजि करने का हक़ नहीं मलिता।
- इस प्रकरयि में भी पहले की तरह ही सबसे ज़यादा वोट पाने वाला प्रत्याशी वजियी घोषति हो जाता है यानी यह सरिफ़ कसिी को वोट नहीं देने का अधिकार है जिसका चुनाव परणाम पर कोई असर नहीं पड़ता ऐसे लोगों का तरक है कि नोटा का यह अधिकार तभी कारगर सदिध हो सकता है जब आम लोगों को भी प्रत्याशयिों को सरि से ख़ारजि करने का यानी राइट टू रजिक्ट का हक़ मलि जाए।
- वैसे देश के कुछ राज्यों में स्थानीय नकियाय स्तर पर राइट टू रजिक्ट कानून लागू है इसके तहत जनता को अपने चुने हुए जनप्रतनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होता है लेकिन इसके बावत कसिी भी तरह के ठोस कानून को लेकर कसिी भी राजनीतिक दल ने कोई पहल नहीं की है।
- हालाँकि कुछ लोग इससे भी सख़्त प्रावधानों की मांग कर रहे हैं उनके मुताबकि चुने हुए नेता को वापस बुलाने के अधिकार के साथ-साथ चुनाव के वक्त ही प्रत्याशी को ख़ारजि करने का प्रावधान होना ज़रूरी है।
- ऐसे लोग नोटा की जगह राइट टू रजिक्ट का अधिकार दयि जाने की वकालत कर रहे हैं।

नोटा के पक्ष में तरक

- नोटा के समर्थन में दलील यह है कि राजनीतिक दल अब नोटा को लेकर संजीदा हो रहे हैं।
- नोटा वोटों की तादाद भले ही कम हो लेकिन इसे चुनावों में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव से तरस्त आम मतदाता के आक्रोश की बानगी के तौर पर देखा जा रहा है।
- राजनीतिक दलों के मंसूबे और वादाखलाफी के वरिद्ध कई नागरकि मंच और आंदोलनकारी आगामी चुनावों में नोटा का वकिलप चुनने की चुनौती भी देते रहे हैं।
- माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फ़ैसला देते हुए इस बात को ही घ्यान में रखा था कि जनता के पास यदि कसिी को भी नहीं चुनने का अधिकार होगा तो राजनीतिक दल दागदार और खराब छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावों में टकिट देने से बचेंगे।
- यह लोकतंत्र में साफ-सुथरे चुनाव हेतु एक बड़ा बदलाव भी माना जा रहा है।

नोटा की शुरुआत कब हुई?

- माना जाता है कि नोटा का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका में हुआ।
- मतपत्रों में नोटा का प्रयोग पहली बार 1976 में अमेरिका के कैलीफ़ोर्नया में इस्ला वसिटा म्युनिसिपल एडवाइजरी कौंसलि के चुनाव में हुआ।
- उसके बाद अन्य देशों ने भी धीरे-धीरे इस वकिलप को अपने देश में लागू करना शुरू कर दयि।
- नोटा का प्रयोग कोलंबिया, यूकरेन, ब्राज़ील, बांग्लादेश, फ़िनलैंड, स्पेन, स्वीडन, चिली, फ़्रांस, बेलजियम और यूनान समेत कई देशों में लागू है।
- दुनिया के कई देशों में 50 प्रतिशत से ज़यादा मत पर ही जीत का प्रावधान है। ऐसे में अगर वहाँ 50 प्रतिशत से ज़यादा नोटा वोटों की संख्या हो जाती है तो चुनाव को रद्द कर फरि से चुनाव कराया जाता है ऐसे में नोटा का महत्त्व काफी बढ़ जाता है।
- रूस में वर्ष 2006 में यह वकिलप मतदाताओं के लयि उपलब्ध था लेकिन बाद में उसे हटा दयि गया।
- इसके अलावा दुनिया के कई देशों में नोटा के लयि अलग अलग नामों का इस्तेमाल कथि जाता है।
- भारत में नोटा का मतलब है 'नन ऑफ़ द अबव' वहीं अमेरिका में इसके लयि 'नन ऑफ़ दीज़ कैंडिडिट' शब्द का इस्तेमाल कथि जाता है जबकि यूकरेन में इसे 'अर्गैस्ट आल' और स्पेन में 'ब्लैक बैलेट' कहा जाता है।
- दुनिया के कई देशों में जहाँ मतदान में नोटा का प्रयोग नहीं शुरू हुआ है वे नोटा का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं।

नषिकरष

दरअसल, नोटा अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने या नहीं चुनने की आज़ादी देता है। भारत में मतदाताओं को नोटा का वकिलप मलिने से उन्हें अपने मत का इस्तेमाल करने का हक़ मलि गया है जो कि अपना पसंदीदा उम्मीदवार नहीं होने के कारण वोट डालने से वंचति रह जाते थे। देश में नोटा वकिलप दयि जाने के बाद से मतदाता इसका प्रयोग करते आ रहे हैं।

यदि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करनी है तो चुनाव सुधार पहला प्रयास होना चाहयि। दरअसल, जनता यदि अपने प्रतनिधियों से असंतुषट है तो अगले चुनावों में उन्हें सबक सखिा सकती है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, अतः जनता के पास 'राइट टू रजिक्ट' के तहत उन्हें समय से पहले वापस बुलाने का भी अधिकार

है, लेकिन समस्या यह है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जब जनता को लगता है कि सारे ही उम्मीदवार अयोग्य हैं, फिर भी किसी-न-किसी का जीतकर संसद या विधान भवन में पहुँच जाना निश्चिती ही नोटा के मूल उद्देश्य के सापेक्ष नज़र नहीं आता ।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nota>

